



FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत..... सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु..... मुकाम.....

..... बनाम
किस्म मुकदमा..... नं. 203/2022 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/5/22	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>रिव/हराराय मिश्रा</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>20/6/22</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> सहायक कलक्टर (SDO) बायतु</p>	
20/06/2022	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित/विप्रार्थी</p> <p>गणों के नोटिस पूर्व में जर्नि</p> <p>रजिस्टर्ड एडी मिजवासे गप्पे जिरकी</p> <p>एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है। रतजार</p> <p>होकर पत्रावली दिनांक-27/06/2022</p> <p>को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड आचकारी बायतु जिला-बाड़मेर</p>	

अतः अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाडमेर) मुकाम बायतु

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज

न्यायालय उप
कमाक बाड / 2022 / 1173 /
प्राथी
आमपकाय पु. 2
जाति क. 1
अणी

27/06/2024

प्राथी वकील उपस्थित / विप्राथीगण को पूर्व में जारिये रजिस्टर्ड नोटिस भेजे गये, जिनको करीब एक माह से अधिक समय हो चुका है, न्यायालय समय में अलग-अलग तीन समय में विप्राथीगण को आवाज लगाई गई आवाज लगाने के बावजूद विप्राथीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा विप्राथीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है, प्राथी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्राथी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्राथी एवं विप्राथीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्राथी एवं विप्राथीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए हैं जिससे प्राथी एवं विप्राथीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्राथी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्राथी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्राथी अधिवक्ता के निवेदन पर प्राथी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ भू. अ. निरीक्षक से प्राथी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाडमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला बाडमेर

क्रमांक वाद/2022/1194

दिनांक : 27/06/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. ओमप्रकाश पुत्र पदमाराम वगैरा 03,
जाति जाट, निवासी भादुओं की
ढाणी, पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला,
तहसील बायतु (बाडमेर)

1. जगदीश पुत्र मेहरुराम वगैरा 03,
जाति जाट, निवासी माडपुरा सानी,
पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला,
तहसील बाडमेर (बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 203/2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - भादुओं की ढाणी, पटवार मण्डल - माडपुरा बरवाला, तहसील - बायतु, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 164/78, 168/82 रकबा क्रमशः 1.1569, 1.3187 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : वाद/2022/1195-99

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का माडपुरा बरवाला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री ओमप्रकाश पुत्र पदमाराम वगैरा 03,
4. विप्रार्थी श्री जगदीश पुत्र मेहरुराम वगैरा 03,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(जगदीश सिंह आशिया)
जिला-बाडमेर

दिनांक : 27/06/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु